सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2012-13

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग + INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2012-13

हरियाणा सरकार

विषय - सूची

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य		iv
अध्याय I - वित्त लेखे और विनियोग लेखे		
परिचय	1.1	1
लेखाओं की संरचना	1.2	1
वित्त लेखे और विनियोग लेखे	1.3	2
निधियों की स्त्रोत व उपयोग	1.4	4
लेखों के मुख्य अंश	1.5	7
घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शातें हैं ?	1.6	8
अध्याय II - प्राप्तियाँ		
परिचय	2.1	10
राजस्व प्राप्तियां	2.2	10
प्राप्तियों के रूझान	2.3	11
राज्य के स्वंय के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	2.4	13
कर संग्रह की कार्य कुशलता	2.5	13
पिछलें 10 वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान	2.6	14
सहायतानुदान	2.7	14
लोक ऋण	2.8	15
अध्याय III - व्यय		
परिचय	3.1	16
राजस्व व्यय	3.2	16
पूंजीगत व्यय	3.3	18
अध्याय IV - योजनागत और गैर योजनागत व्यय		
व्यय का वितरण (2012-13)	4.1	20
योजनागत व्यय	4.2	20
गैर योजनागत व्यय	4.3	21
प्रतिबद्ध व्यय	4.4	22

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
अध्याय V - विनियोग लेखे		
विनियोग लेखे 2012-13 का सारांश	5.1	23
पिछलें 10 वर्षो का बचत/आधिक्य का रूझान	5.2	23
महत्वपूर्ण बचत	5.3	23
अध्याय VI - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व		
परिसम्पत्तियाँ	6.1	24
ऋण और दायित्व	6.2	24
गारंटी	6.3	25
अध्याय VII - अन्य मदें		
राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम	7.1	26
स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तिय सहायता	7.2	26
रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष	7.3	27
व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान	7.4	27
उपयोगिता प्रमाण पत्र	7.5	27
सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन	7.6	27
वैयक्तिक खातों में धन का हस्तान्तरण	7.7	28

प्रस्तावना

यह संकलन ' लेखे एक दृष्टि में ', विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है । इस क्रम में यह पंदरहवां संस्करण है ।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 खण्ड-II के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है ।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं । वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार हैं । विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और प्रावधानित निधियों तथा वास्तविक व्यय के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्यानों को दर्शाता है ।

' लेखे एक दृष्टि में ' वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है । पण-धारियों-विधायिका, कार्यपालिका एवं जनता को लेखों की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सूचनाओं को संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विशलेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । हरियाणा सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित ' लेखे एक दृष्टि में ' का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा ।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है ।

स्थानः चण्डीगढ़

दिनांकः 20 सितम्बर 2013

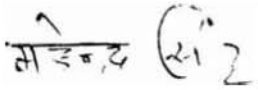

¼महेन्द्र सिंह½
प्रधान महालेखाकार¼लेखा एवं हक. ½हरियाणा

हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का **परिदृश्य** यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोचित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

हमारा **उद्देश्य** वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है ।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पणधारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है ।

हमारे **अन्तर्मूल्य**, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते है ।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनियता
- व्यवहारिक उत्कृष्ता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

अध्याय I - वित्त लेखे और विनियोग लेखे

परिदृश्य

1.1. परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये लेखे,जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं । इसके उपरांत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है ।

1.2. लेखाओं की संरचना

1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग I समेकित निधि	राजस्व व पूंजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय ।
भाग II आकस्मिक निधि	बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु । इस निधि से खर्च की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है ।
भाग III लोक लेखा	ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन । ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शातें हैं । अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं । प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती है जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है ।

1.2.2. सरकारी लेखों की संरचना का चित्रमय प्रदर्शनः

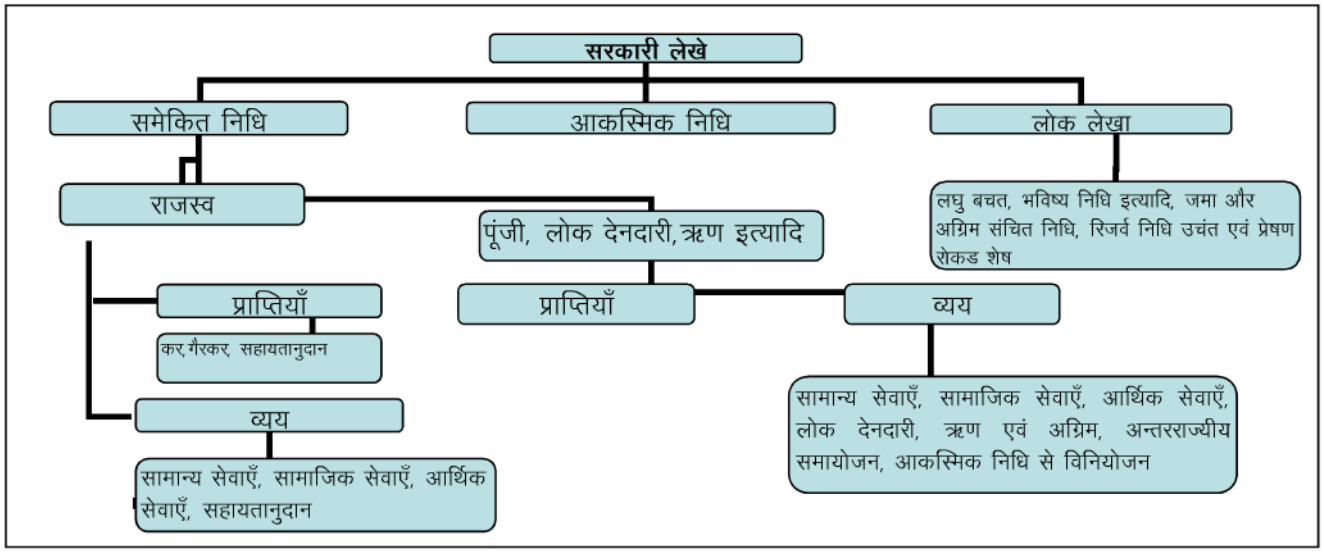

1.2.3. लेखाओं का संकलन

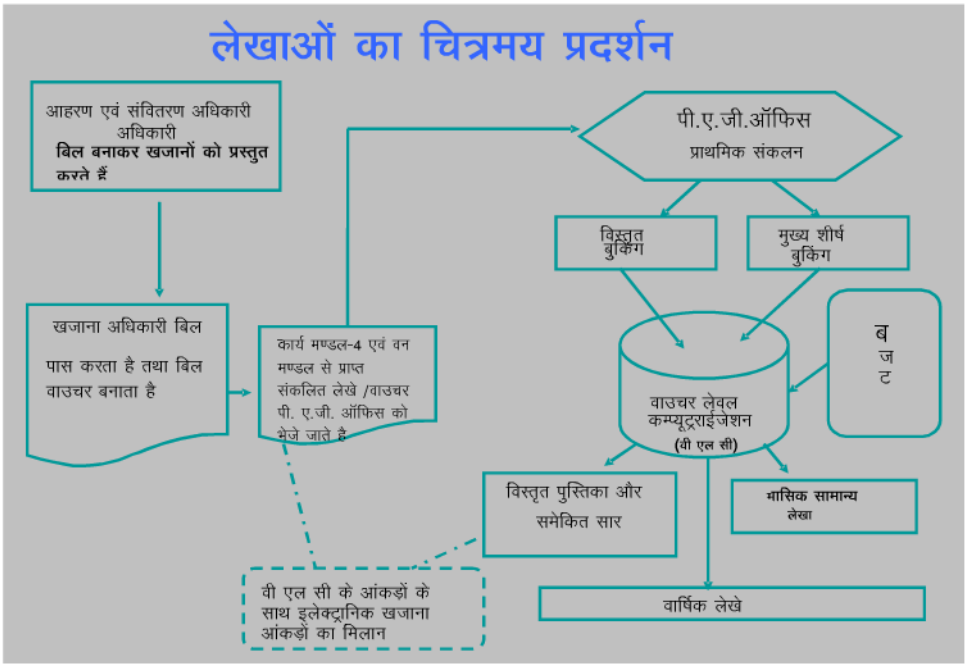

1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूंजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं । वित लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है । खण्ड एक में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी

महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं । खण्ड-II में अन्य सारांश संबंधी विवरणियां (भाग-I), विस्तृत विवरणियां (भाग- II) व अनुच्छेद (भाग- III) शामिल है ।

वित्त लेखे 2012-13 में दिखाये गये राजस्व व पूंजीगत लेखे, लोक ऋण और दायित्व निम्न लिखित है ।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 44,356)	राजस्व (कुल: 33,634)	कर राजस्व	26,621
		कर रहित राजस्व	4,673
		सहायतानुदान	2,340
	पूंजीगत (कुल:10,722)	पूंजीगत प्राप्तियाँ	11
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	349
		उधार व अन्य दायित्व*	10,362
संवितरण (कुल: 44,356)	राजस्व		38,072
	पूंजीगत		5,762
	ऋण तथा अग्रिम		522

* उधार व अन्य दायित्वः लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आरभिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतू कार्यान्वित अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थानों की अधिकांश निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित करती है । इस वर्ष सीधे तौर पर भारत सरकार ने ₹ 1,606 करोड़ (₹ 1,657 करोड़ बीते वर्ष) जारी किये । चूकिं ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गई । ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II का परिशिष्ट-VII में दर्शायी गयी है ।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरूद्ध किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं ।

विनियोग अधिनियम 2012-13 में ₹ 6,216 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए ₹ 66,810 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है । व्यय की कमी से वसूलियों के लिए

₹6,055 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी । विनियोग लेखे 2012-13 कुल प्रावधान ₹ 66,810 करोड़ के विरूद्ध ₹ 55,828 करोड़ के संवितरण को दर्शातें हैं । परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरूद्ध ₹ 10,982 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 5,174 करोड़ की व्यय में कमी से संबिंधत वसूलियां बजट अनुदान की तुलना में ₹ 881 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 116 करोड़ संचित निधि से सार्वजनिक खाते के तहत व्यक्तिगत जमा लेखा, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित प्रशासक के द्वारा रखा जाता है को हस्तांतरित किया गया है। आमतौर पर व्यक्तिगत जमा खातों के तहत अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में वापस सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है। हालांकि, ऐसे स्थानान्तरण का ब्यौरा, यदि कोई हो और व्यक्तिगत जमा खातों में बकाया शेष खजानों के साथ ही उपलब्ध है, क्योंकि वे इस तरह के रिकार्ड के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है ।

1.4. नधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिसमापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी सहमत न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा सरकार ने ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं उठाया और ₹ 347 करोड़ की अर्थोपाय पेशगी प्राप्त की।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹4,438 करोड़ के राजस्व घाटे और ₹10,362 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी)[1] का क्रमशः 1.26 प्रतिशत एवं 2.93 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 23 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण में (₹9,262 करोड़) तथा लोक लेखे में (₹1,100 करोड़) वृद्धि से की गयी । राज्य की लगभग 58 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹ 33,634 करोड़) प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹11,270 करोड़) ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़) एवं पेंशन (₹ 3,636 करोड़) पर खर्च हुई।

[1] प्रकाशित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े हरियाणा सरकार के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं ।

निधियों के स्त्रोत और उपयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
	प्रारंभिक रोकड़ शेष 01.04.2012 को	(-)50
	राजस्व प्राप्तियां	33,634
	पूंजीगत प्राप्तियां	11
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	349
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	15,560
	भविष्य निधि, लधु बचत और अन्य	2,311
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	672
स्त्रोत	जमा प्राप्तियां	13,105
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	45
	उचन्त लेखे	30,791
	प्रेषण	5,929
	आकस्मिक निधि	-
	कुल	**1,02,357**
	राजस्व व्यय	38,072
	पूंजीगत व्यय	5,762
	प्रदत्त ऋण	522
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	6,298
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	-
	भविष्य निधि लधु बचत और अन्य	1,853
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	711
उपयोग	जमा व्यय	12,507
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	45
	उचन्त लेखे	30,421
	प्रेषण	6,001
	अंतिम रोकड़ शेष 31.03.2013 को	165
	कुल	1,02,357

1.4.3. रूपये का आवक स्थान

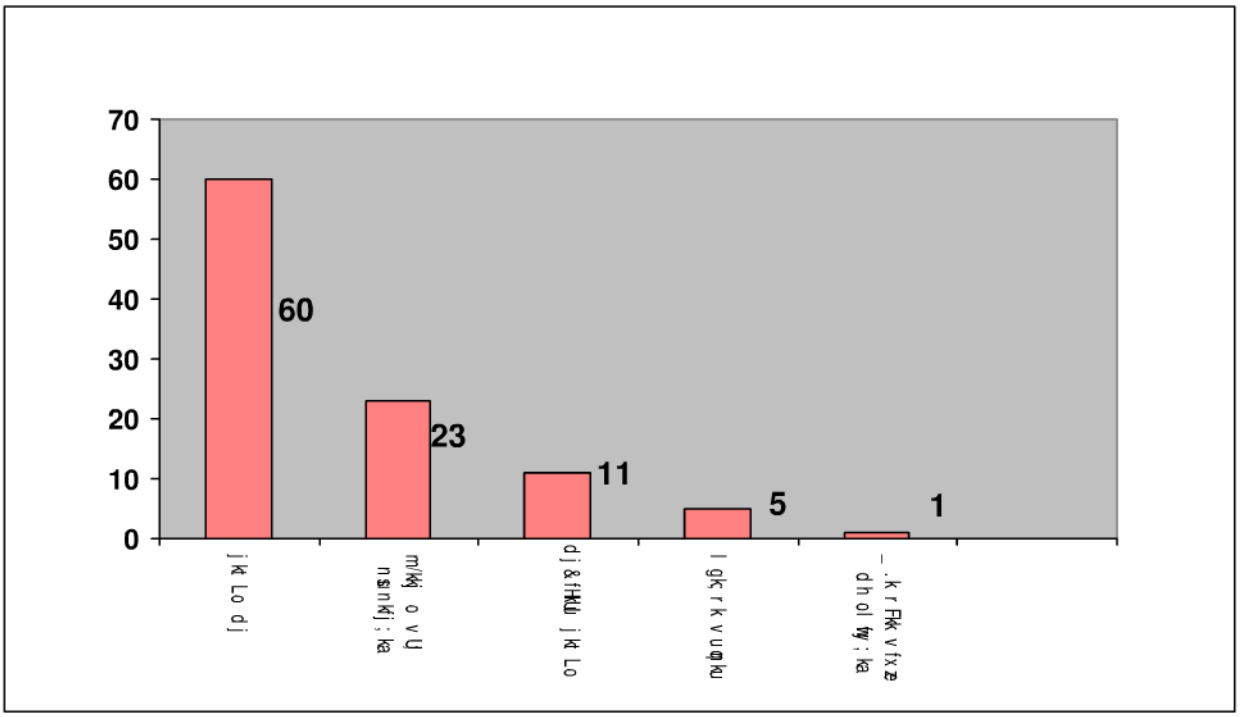

1.4.4. रूपये का जावक स्थान

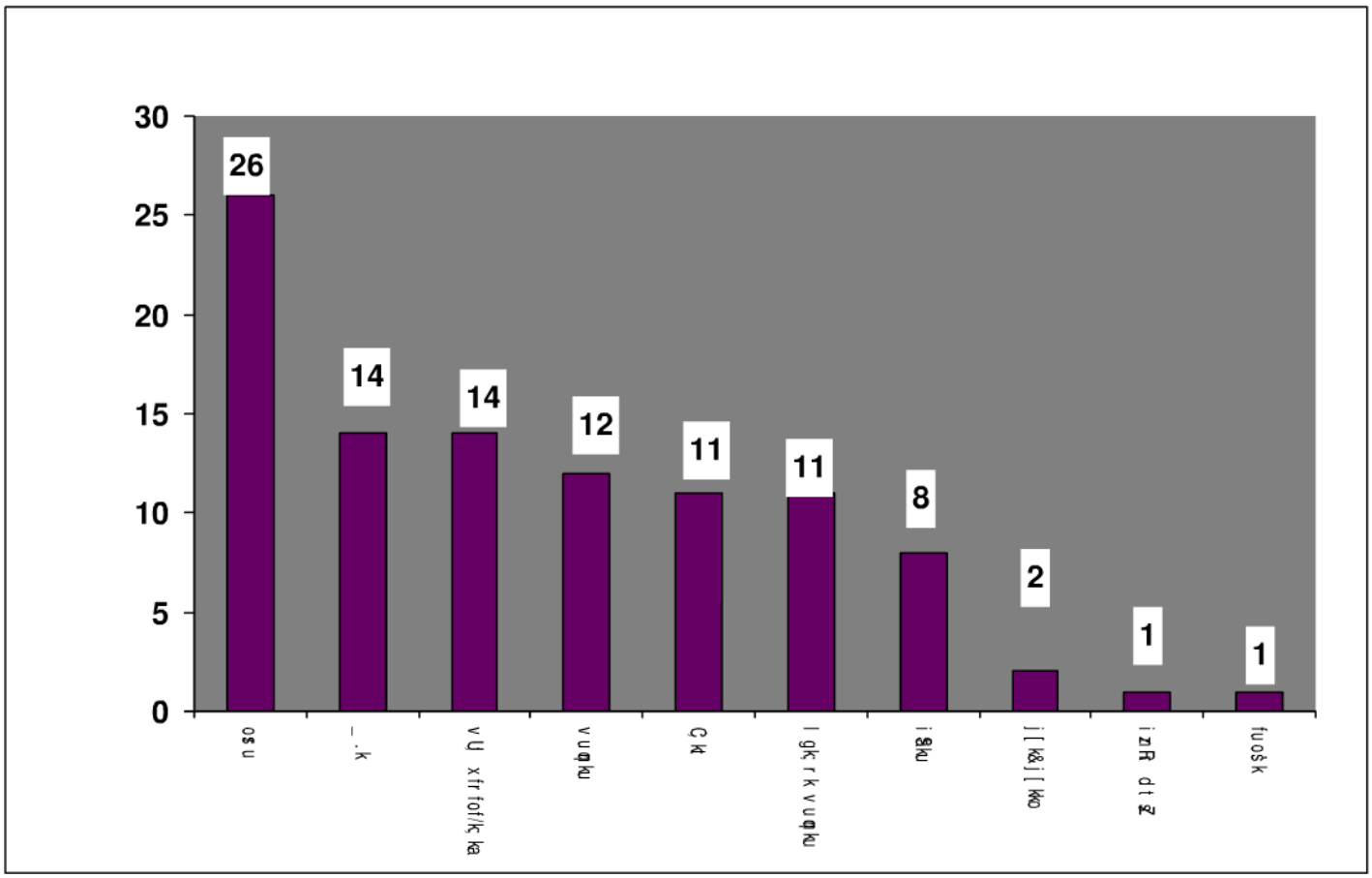

1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुमान 2012-13	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता (एस)
1	कर राजस्व @	27, 053	26,621	98	8
2	कर भिन्न राजस्व	4,805	4,673	97	1
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	5,470	2,340	43	1
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	37,328	33,634	90	10
5	ऋणों की वसूली	374	349	93	..
6	अन्य प्राप्तियां	20	11	55	..
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	7,597	10,362	136	3
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	7,991	10,722	134	3
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	45,319	44,356	98	13
10	योजनेत्तर व्यय (*)	28,770	30,425	106	9
11	राजस्व लेखे पर योजनेत्तर व्यय	28,614	28,616	100	8
12	मद संख्या 11 में से ब्याज के भुगतान पर योजनेत्तर व्यय	5,261	4,744	90	1
13	पूंजीगत लेखे पर योजनेत्तर व्यय	156	1,809	1160	..
14	योजनागत व्यय (*)	16,549	13,931	84	4
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	11,170	9,456	85	3
16	पूंजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	5, 379	4,475	83	1
17	कुल व्यय (10+14)	45,319	44,356	98	13
18	राजस्व व्यय (11+15)	39,784	38,072	96	11
19	पूंजीगत व्यय (13+16)(#)	5,535	6,284	114	2
20	राजस्व आधिक्य घाटा (4-18)	(-)2,456	(-)4,438	181	1
21	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-)7,597	(-)10,362	136	3

(@) ₹ 3, 062 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।

($) ₹ 3,53,440 करोड़ जी.एस.डी.पी. पूर्वानुमानित एवं योजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा सूचित हैं ।

(#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹5,762 करोड़) तथा वितरित कर्जे तथा उधार (₹522 करोड़) शामिल है ।

(*) योजनेत्तर व्यय ₹ 238 करोड़ और ऋण और अग्रिम के लिए योजनागत ₹ 284 करोड़ रूपये शामिल है ।

(क) उधार तथा अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखे + नकद प्राप्तियों का आरभिक शेष निवल

1.6 घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?

घाटा	राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है ।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है । राजस्व व्यय के लिए सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही हो।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता हो । यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता हैकि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रूझानः

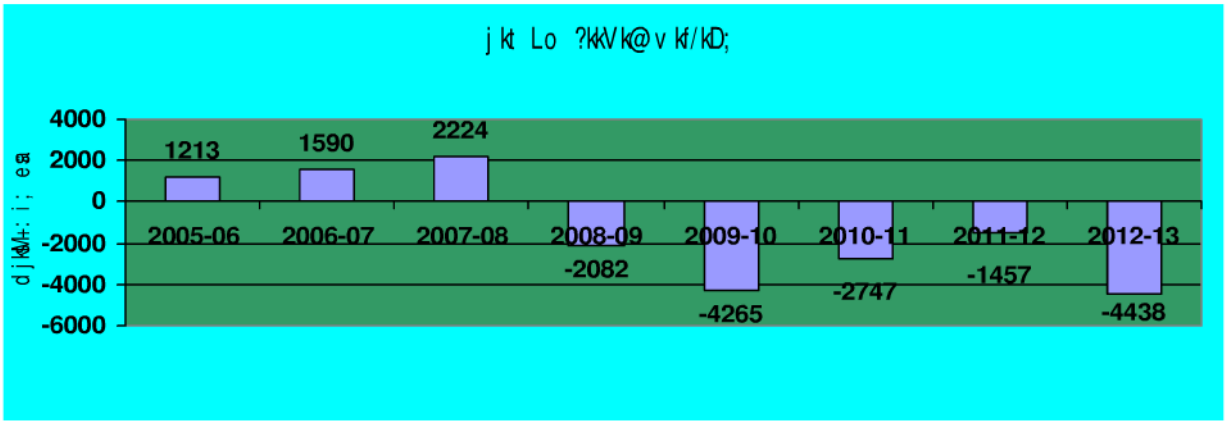

1.6.2 राजकोषीय घाटे के रूझानः

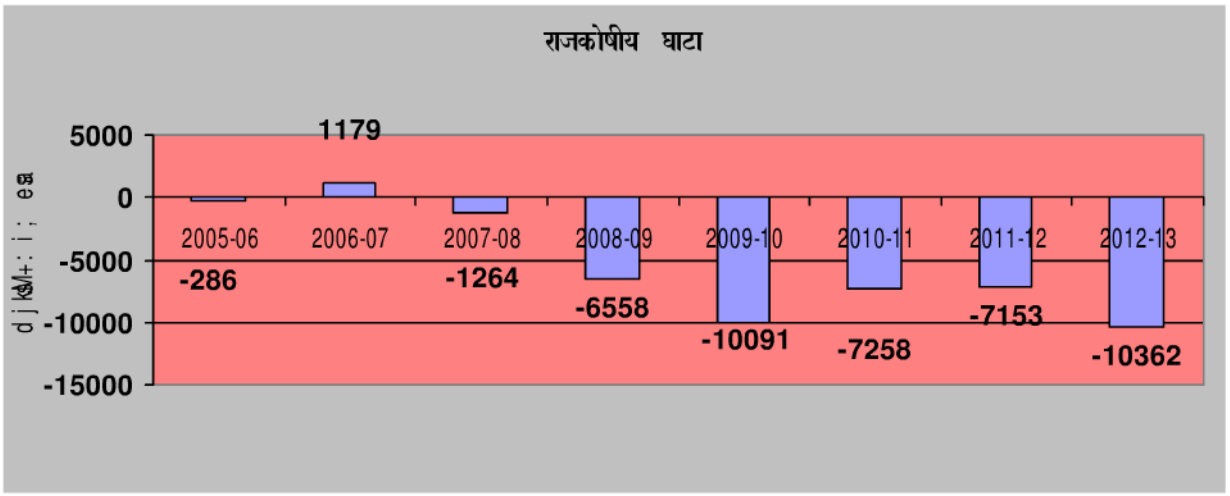

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उधार निधि	6,524	4,474	3,349	2,012	844	3,888	8,455	10,513	11,741	15,560
पूंजीगत व्यय	386	897	1,612	2,428	3,426	4,402	5,218	4,031	5,372	5,762

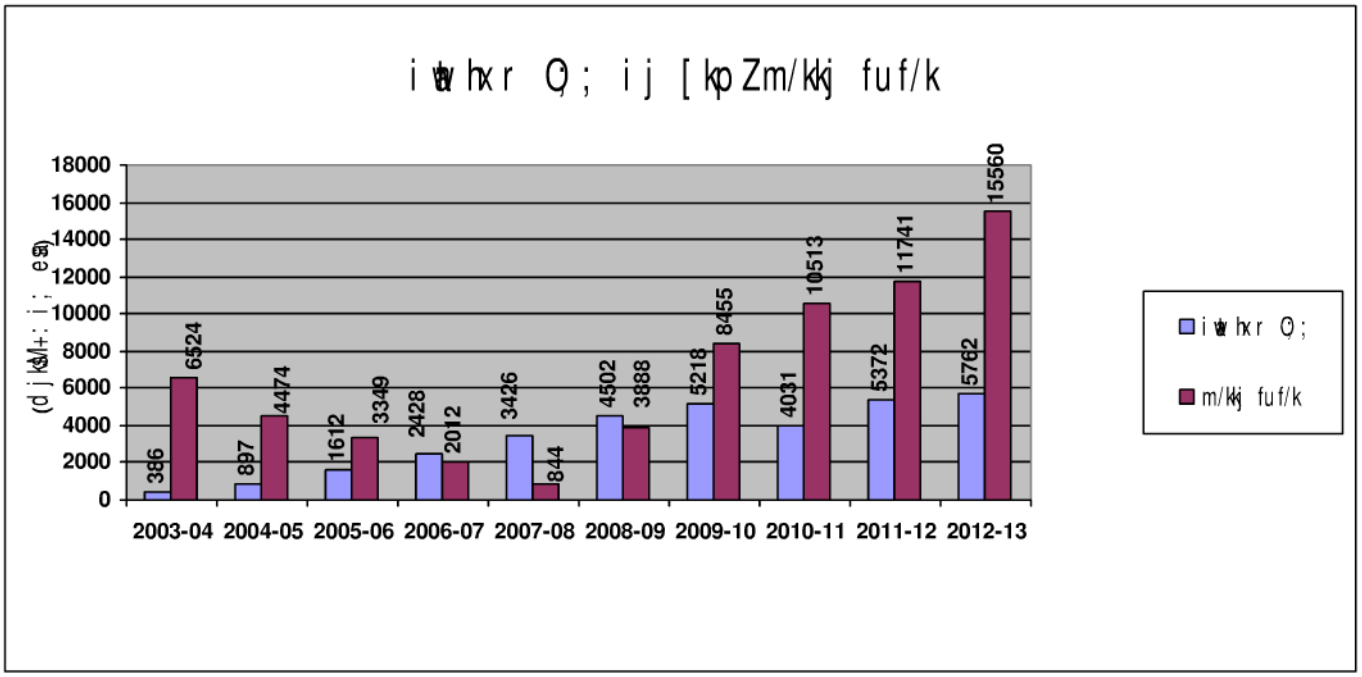

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई रकम का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व् प्राप्ति का पूरी तरह से उपयोग करें। बहरहाल राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹15,560 करोड़)का केवल 37 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 5,762 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 63 प्रतिशत (₹ 9,798 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान, चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, वर्ष के अंत में सकारात्मक रोकड़ अधिशेष बनाए रखने के लिए तथा खजाना बिलों में निवेश हेतु उपयोग किया गया।

अध्याय II- प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 44,356 करोड़ रही ।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर इसके अन्तर्गत आते है ।
कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संघ सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें बाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं भी शामिल है ।

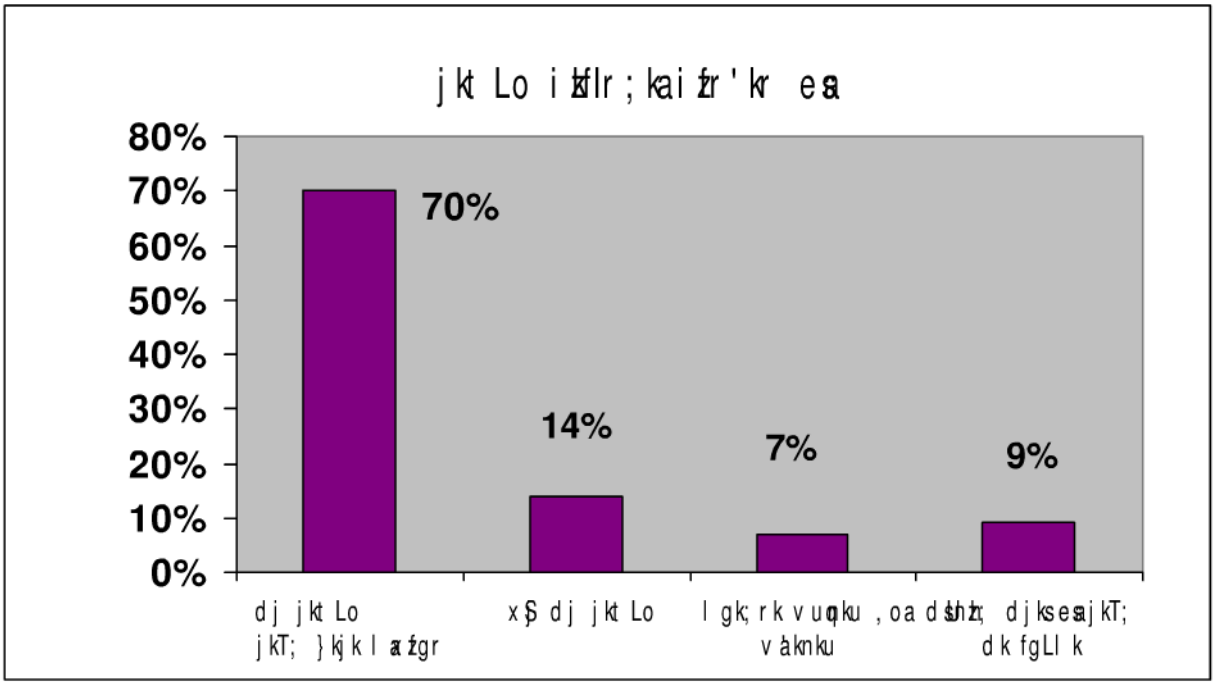

राजस्व प्राप्ति घटक (2012-13)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
क. राजस्व कर	**26,621**
आय और व्यय पर कर	1,759
पूंजी हस्तान्तरण और सम्पति पर कर	3,341
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर	21,521
ख. कर भिन्न राजस्व	**4,673**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	1,065
सामान्य सेवायें	535
सामाजिक सेवायें	1,591
आर्थिक सेवायें	1,482
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	**2,340**
कुल-- राजस्व प्राप्तियाँ	**33,634**

2.3. प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व (राज्य के स्वयं के कर राजस्व)	6,349 (8)	7,441 (9)	9,078 (10)	10,927 (8)	11,618 (8)	11,655 (6)	13,220 (6)	16,790 (6)	20,399 (6)	23,559 (7)
संघ करों में राज्य का हिस्सा	600 (1)	619 (1)	1,201 (1)	1,296 (1)	1,634 (1)	1,725 (1)	1,774 (1)	2,302 (1)	2,682 (1)	3,062 (1)
कर भिन्न राजस्व	2,223 (3)	2,544 (3)	2,459 (3)	4,591 (4)	5,097 (3)	3,238 (2)	2,742 (1)	3,421 (2)	4,722 (2)	4,673 (2)
सहायतानुदान	671 (1)	545 (1)	1,115 (1)	1,138 (1)	1,402 (1)	1,834 (1)	3,257 (2)	3,051 (1)	2,755 (1)	2,340 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9,843 (13)	11,149 (14)	13,853 (15)	17,952 (14)	19,751 (13)	18,452 (10)	20,993 (10)	25,564 (10)	30,558 (10)	33,634 (10)
सकल राज्य धरेलू उत्पादन	72,980	80,665	93,441	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793	3,09,326	3,53,440

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष 2012-13 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े पुर्वानुमानित एवं योजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा सूचित हैं ।

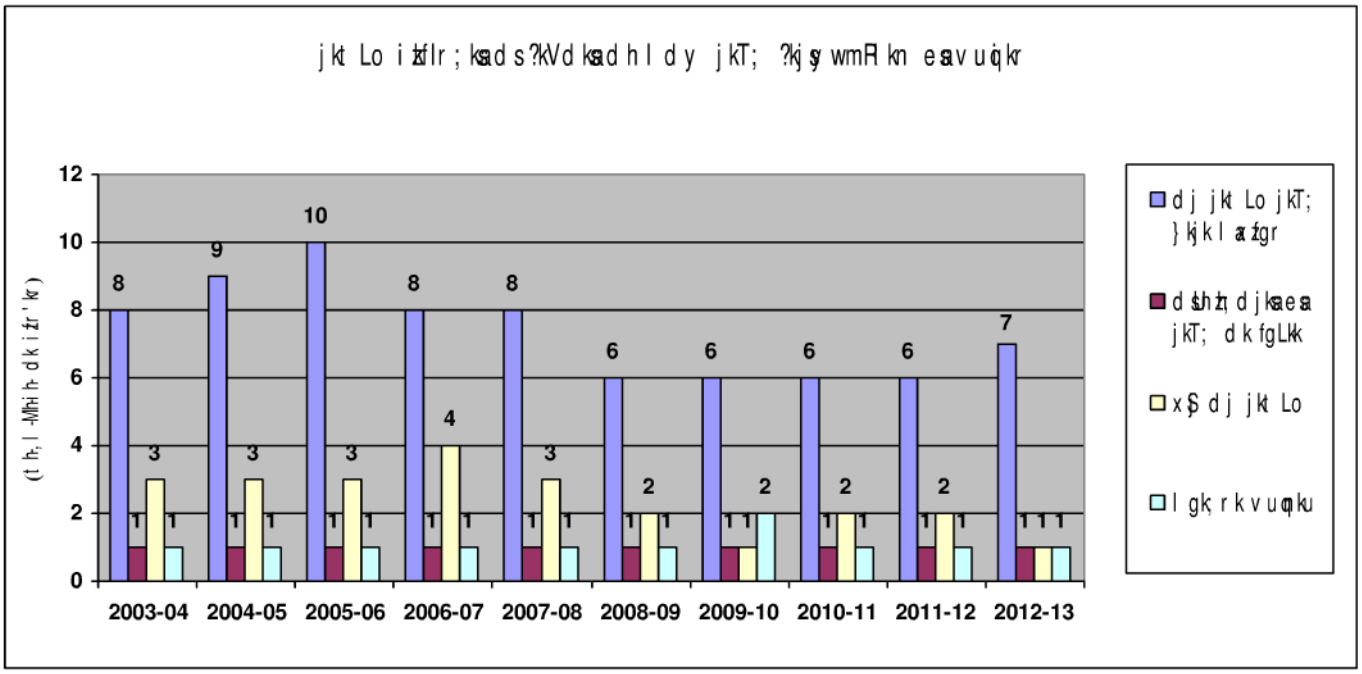

क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
क. आय और व्यय पर कर	229	282	600	650	867	921	1,137	1,375	1,592	1,759
ख. सम्पति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	716	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	6,004	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,552	15,386	18,681	21,521
कुल राजस्व कर	**6,949**	**8,060**	**10,279**	**12,223**	**13,252**	**13,380**	**14,994**	**19,092**	**23,081**	**26,621**

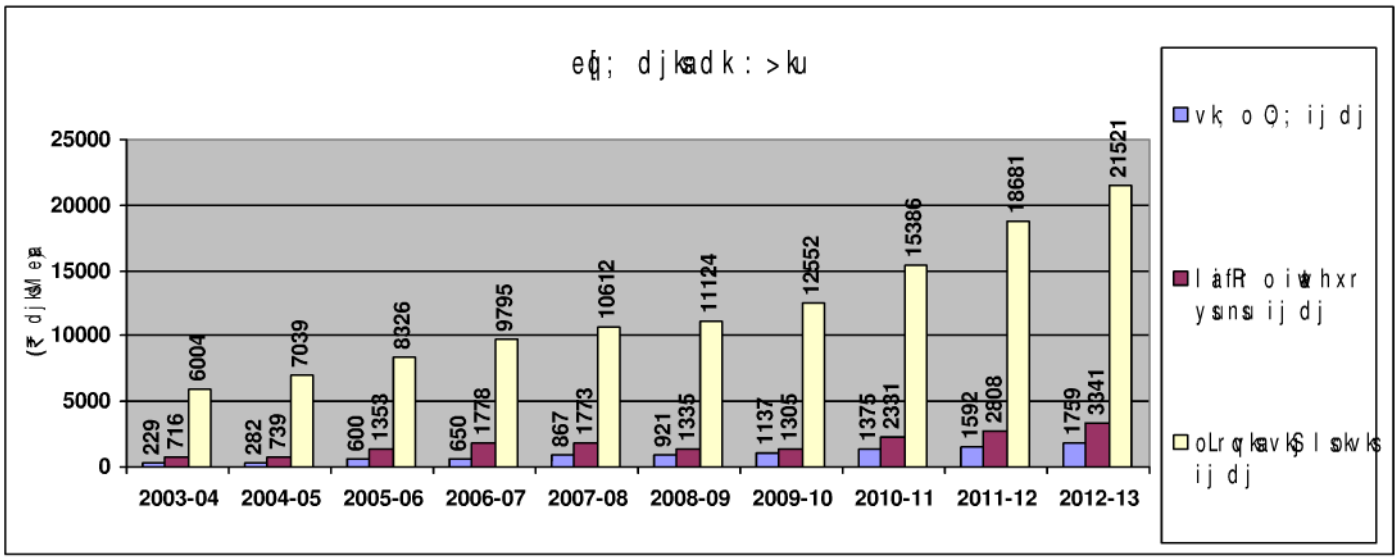

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व कर	संघ कर का राज्य अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	
			रूपये	सकल राज्य धरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003-04	6,949	600	6,349	8
2004-05	8,060	619	7,441	9
2005-06	10,279	1,201	9,078	10
2006-07	12,223	1,296	10,927	8
2007-08	13,252	1,634	11,618	8
2008-09	13,380	1,725	11,655	6
2009-10	14,994	1,774	13,220	6
2010-11	19,092	2,302	16,790	6
2011-12	23,081	2,682	20,399	6
2012-13	26,621	3,062	23,559	7

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. पूंजीगत लेन-देन और सम्पति पर कर

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रह	716	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341
संग्रह पर व्यय	40	42	47	65	72	93	117	121	116	131
कर संग्रह में कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	6	6	4	4	4	7	9	5	4	4

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रह	6,004	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,252	15,386	18,681	21,521
संग्रह पर व्यय	52	58	63	67	71	95	114	127	127	139
कर संग्रह के कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है । कर संग्रहण क्षमता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले 10 वर्षों में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम कर	132	200	337	404	518	565	730	900	1,056	1,100
आय पर निगम कर से भिन्न कर	97	82	263	246	348	355	407	475	536	659
सम्पति पर कर	-	-	1	1	1	1	2	2	4	2
सीमा शुल्क	141	129	218	253	309	330	248	403	465	509
संघ उत्पाद शुल्क	208	174	297	268	295	288	200	293	301	345
सेवा कर	20	34	85	124	163	186	187	229	320	447
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	**600**	**619**	**1,201**	**1,296**	**1,634**	**1,725**	**1,774**	**2,302**	**2,682**	**3,062**
कुल कर राजस्व	**6,949**	**8,060**	**10,279**	**12,223**	**13,252**	**13,380**	**14,994**	**19,092**	**23,081**	**26,621**
कुल कर राजस्व में संघ कर की प्रतिशतता	9	8	12	11	12	13	12	12	12	12

हरियाणा सरकार को वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक संघ कर से राज्य का हिस्सा 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की दर से प्राप्त हो रहा है ।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग से

सिफारिश की गयी गैर योजनागत अनुदान द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है । वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 2,340 करोड़ थी जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है ।

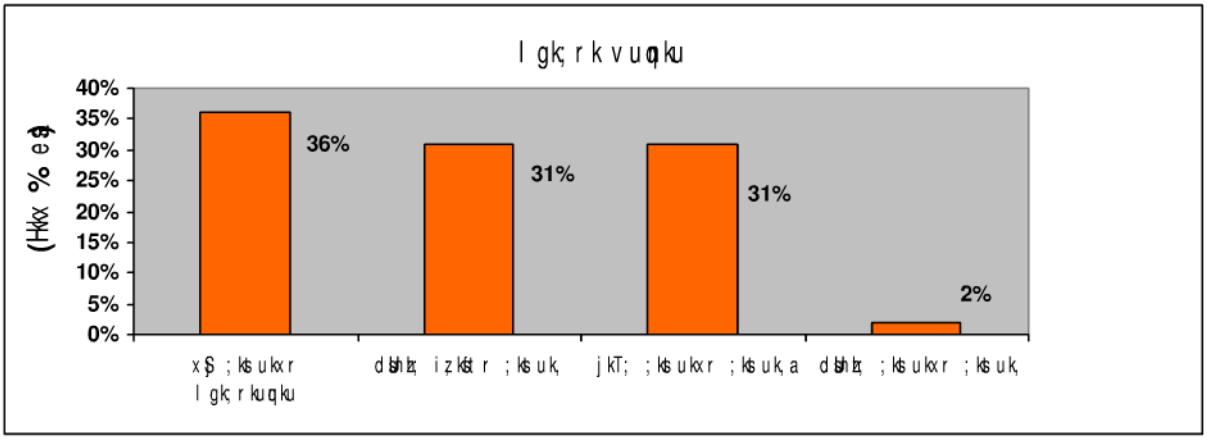

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के कुल सहायतानुदान 45 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हुई है । जबकि वर्ष 2012-13 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सदारी वर्ष 2011-12 के 55 प्रतिशत से बढ कर 64 प्रतिशत हुई है ।

2.8 लोक ऋण

पिछले 10 वर्षो में लोक ऋण [निवल वृद्धि (+)/ कमी(-)] का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंतरिक ऋण	4,131	2,872	2,311	988	48	2,644	5,743	5,688	6,857	9,338
केन्द्रीय सरकार ऋण	(-) 1,636	(-) 1,412	(-) 70	(-) 90	(-) 45	(-) 48	(-) 34	184	(-)127	(-)76
कुल लोक ऋण	2,495	1,460	2,241	898	3	2,596	5,709	5,872	6,730	9,262

नोट- नकारात्मक आंकडों से संकेत मिलता है कि अदायगी प्राप्तियों से अधिक है ।

वर्ष 2012-13 में 14 ऋण कुल योग ₹ 9,330 करोड़ भिन्न ब्याज दरों 8.57 प्रतिशत से 9.17 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि 2022-23 में सम मूल्य पर प्रतिदेय थे ।

वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण ₹ 15,509 करोड़ (₹ 3,46.77 करोड अर्थोपाय पेशगियों सहित) जिसमें केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 51 करोड़ भी शामिल थी, पूंजीगत व्यय जो कि केवल ₹ 5,762 करोड़ (37 प्रतिशत) था, दर्शाता है कि बाकी का लोक ऋण गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अध्याय III - व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है । पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है । व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है ।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई , सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 10 वर्षो के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है ।

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अनुमानित बजट	10,390	11,340	13,058	16,929	18,521	23,364	27,519	33,062	37,234	43,098
वास्तविक	10,282	11,583	12,800	16,494	17,641	20,635	25,435	28,713	32,116	38,206
अन्तर	108	- 243	258	434	880	2,729	2,084	4,349	5,118	4,892
अनुमान बजट से अधिक अन्तर का प्रतिशत	1	2	2	3	5	12	13	13	14	11

(स्रोत- संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय ₹ 38,206 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 4,892 करोड़ कम रहा ।

बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (11 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कुल राजस्व व्यय के 52 प्रतिशत के लगभग गैर योजनागत व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) पर खर्च की गई । योजनागत व्यय में ₹ 4,718 करोड़ (वर्ष 2011-12) से ₹ 4,475 करोड़ (वर्ष 2012-13) 5 प्रतिशत की कमी हुई है ।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वितरण (2012–13)

(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	271	1
(i) पूंजी लेनदेन और सम्पति पर कर की वसूली	131	-
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	139	-
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	1	-
ख. राज्य के अंग	498	1
ग. ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	4,955	13
घ. प्रशासनिक सेवाएं	2,531	7
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	3,642	10
च. सामाजिक सेवाएं	14,516	38
छ. आर्थिक सेवाएं	11,557	30
ज. सहायतानुदान और अंशदान	102	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	38,072	100

3.2.2 व्यय (2004-2013)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	सामाजिक सेवाएं	2,706	3,218	3,995	4,615	5,739	7,259	9,902	10,904	12,641	14,516
2.	आर्थिक सेवाएं	2,996	3,199	3,815	6,627	6,222	7,036	7,530	7,997	9,054	11,557
3.	ऋण और अग्रिम	2,142	2,286	2,142	2,316	2,396	2,386	2,809	3,424	4,152	4,955
4.	सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं के अतिरिक्त)	2,225	2,612	2,438	2,529	2,833	3,638	4,946	5,904	6,068	6,942

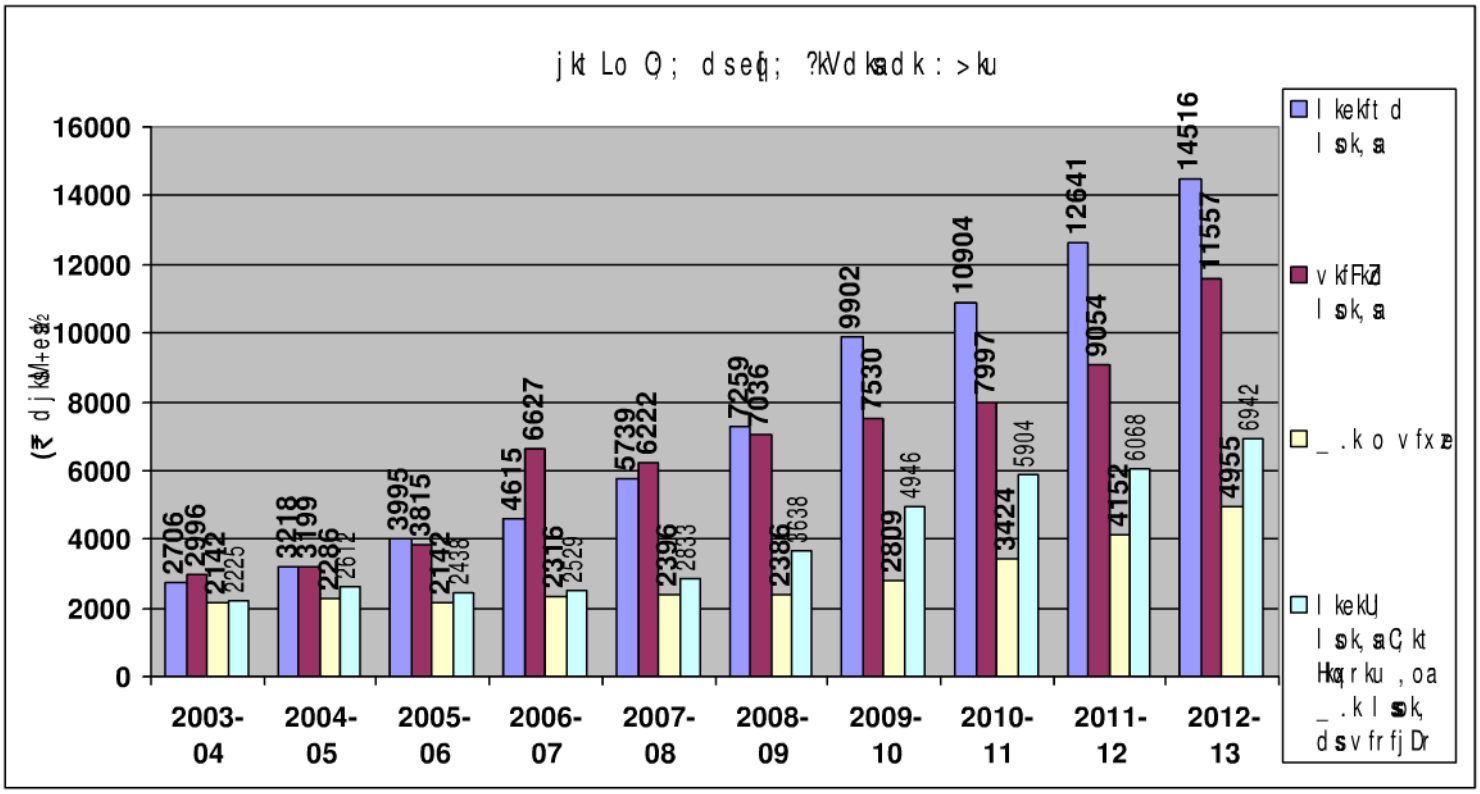

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2012-13 का पूंजीगत संवितरण सकल धरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत जो कि बजट अनुमान से ₹ 444 करोड़ कम था ।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 724 करोड़ खर्च किए (₹ 138 करोड़ मुख्य सिंचाई पर तथा ₹ 586 करोड़ मध्यम सिंचाई पर) और विभिन्न सांवधिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹ 269 करोड़ निवेश किए।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	251	4
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1, 446	23
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	4,065	65
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	522	8
कुल		**6,284**	**100**

3.3.2 पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	सामान्य सेवाएं	66	58	82	90	171	195	187	199	235	251
2.	सामाजिक सेवाएं	294	287	439	649	922	1,109	1,070	1,230	1,367	1,446
3.	आर्थिक सेवाएं	26	552	1,091	1,688	2,333	3,198	3,961	2,602	3,770	4,065
4.	ऋण और अग्रिम	2,429	208	177	185	286	332	830	722	627	522
	कुल	**2,815**	**1,105**	**1,789**	**2,612**	**3,712**	**4,834**	**6,048**	**4,753**	**5,999**	**6,284**

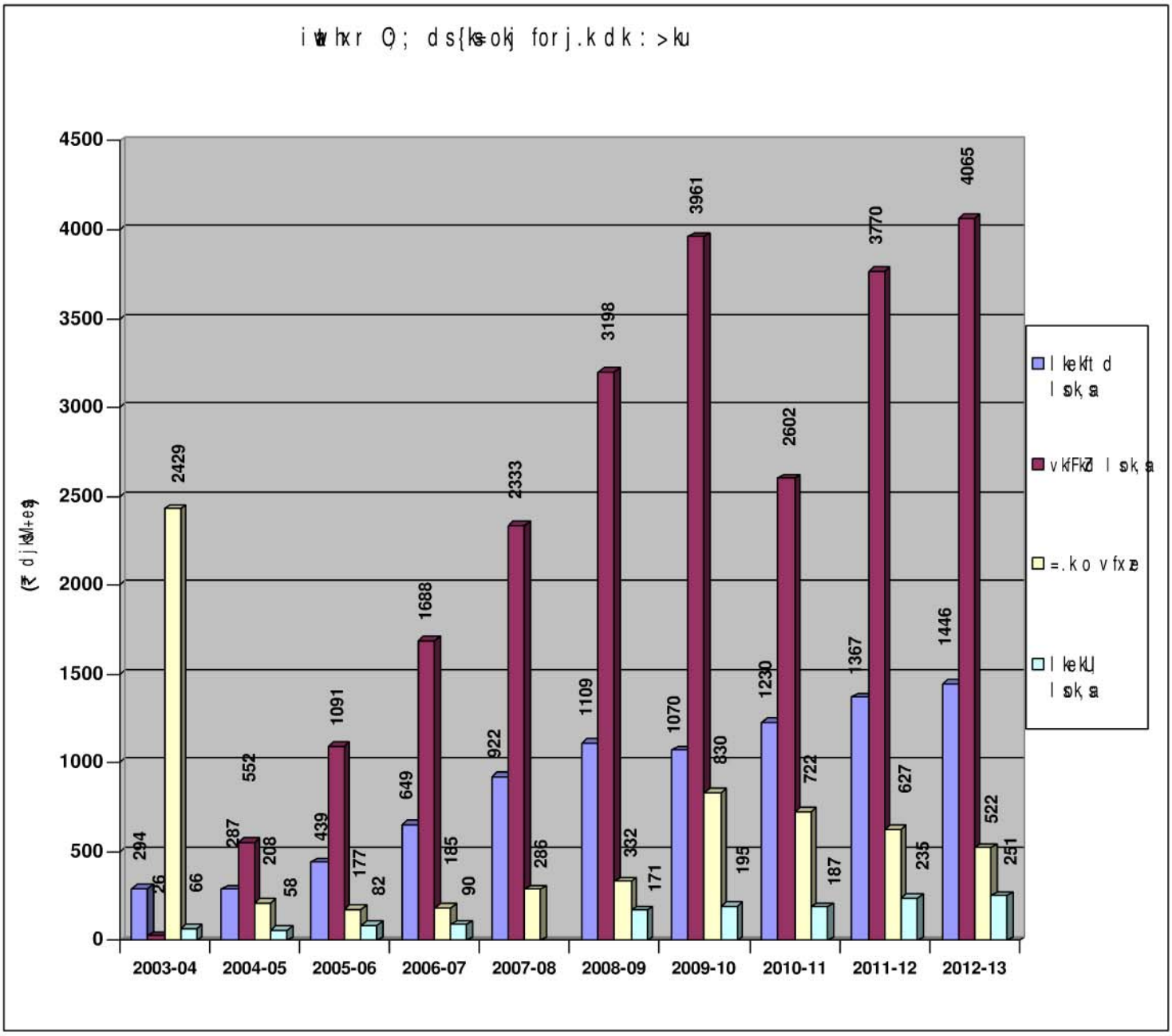

अध्याय IV - योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2012-13)

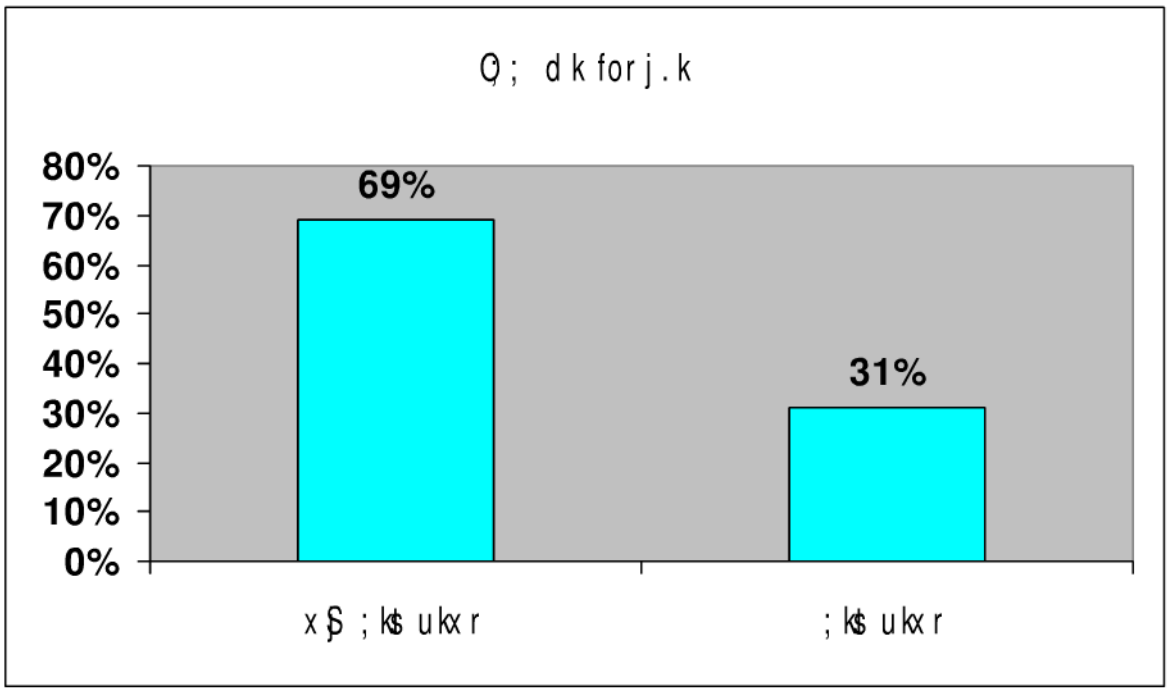

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 13,931 करोड़ कुल संवितरण के 31 प्रतिशत योजनागत व्यय (₹ 12,292 करोड़ राज्य योजनागत के अन्तर्गत, ₹ 1,355 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 284 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

4.2.1 योजनागत व्यय का : >ku

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल व्यय	12,932	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356
पूंजीगत व्यय	2,369	2,705	3,707	4,975	6,612	7,928	10,534	10,634	12,510	13,931
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	18	22	26	26	31	31	34	32	33	31
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4

4.2.2 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल पूंजीगत व्यय	2,815	1,105	1,789	2,612	3,711	4,834	6,048	4,753	5,999	6,284
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1,245	1,105	1,692	2,521	3,436	4,010	4,819	4,383	4,718	4,475
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत (योजनागत) और कुल पूंजीगत व्यय	44	100	95	97	93	83	80	92	79	71

4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 30,425 करोड़ कुल संवितरण के 69 प्रतिशत गैर योजनागत व्यय (₹ 28,616 करोड़ राजस्व और ₹ 1,809 करोड़ पूंजीगत के अन्तर्गत) था ।

4.3.1 गैर योजनागत व्यय का : > ku

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल व्यय	12,932	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356
पूंजीगत व्यय	10,563	9,807	10,722	13,999	14,626	17,441	20,771	22,429	25,504	30,425
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	82	78	74	74	69	69	66	68	67	69
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	14	12	11	11	9	10	10	9	8	9

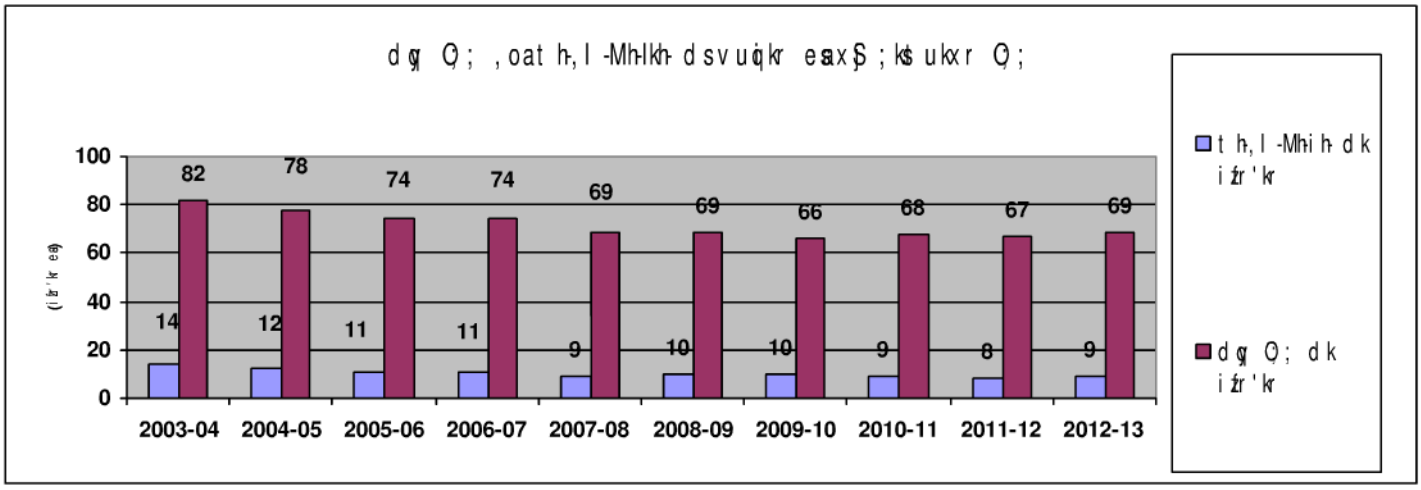

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रतिबद्ध व्यय *	3,468	3,890	7,044	7,642	8,291	10,556	13,764	16,085	17,084	19,650
राजस्व व्यय	10,117	11,407	12,460	16,362	17,527	20,535	25,257	28,310	32,015	38,072
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति (अध्याय II) से प्रतिशत	35	35	52	42	42	57	66	63	56	58
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	34	34	57	47	47	51	54	57	53	52

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति विकासात्मक व्यय के लिए सरकार को कम लचीलापन देती है ।

* Ç;kt vnk;fx;kaiSku vnk;xho osu¼dsoy jktLo O;½ 'kkfey gSA gkykafd o"kZ2003&04 ls2004&05 esaosu 'kkfey ugh gSA

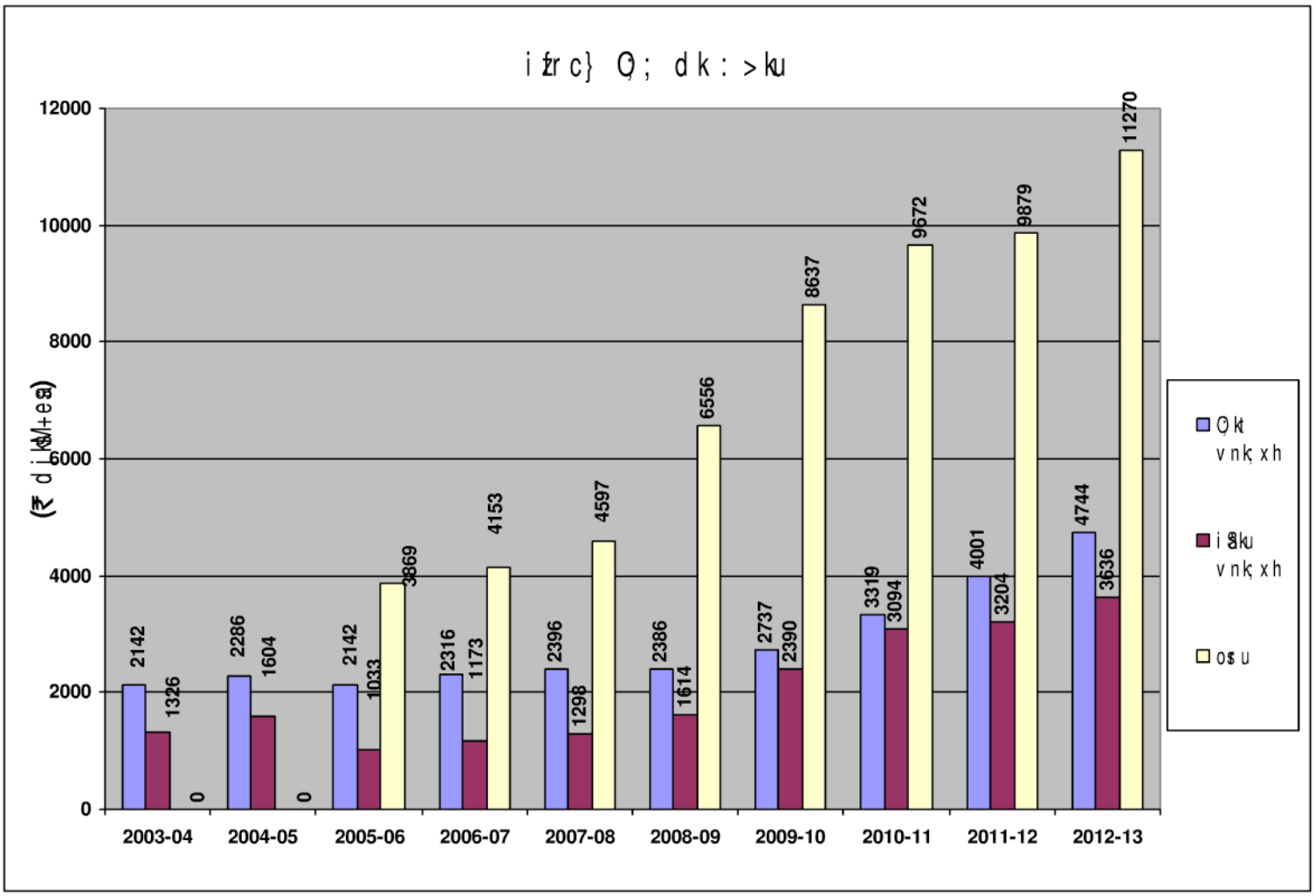

अध्याय V - विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2012-13 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	**राजस्व**						
	दत्तमत	34,638	2,876	(-) 4,296	33,218	33,149	(-) 69
	भारित	5,539	45	(-) 186	5,398	5,056	(-) 342
2	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	10,265	19,16	(-) 1,751	10,430	10,709	279
	भारित	58	37	(-) 12	83	93	10
3	लोक ऋण						
	भारित	9,221	1,328	(-)4,111	6,438	6,298	(-)140
4	ऋण और अग्रिम						
	दत्तमत	874	14	(-) 364	524	522	(-) 2
	कुल						
	दत्तमत	**45,777**	**4,806**	**(-) 6,411**	**44,172**	**44,380**	**208**
	भारित	**14,818**	**1,410**	**(-) 4,309**	**11,919**	**11,447**	**(-) 472**

5.2. पिछले 10 वर्षो का बचत और आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और पेशगियां	
2003-04	(-) 714	1,585	(-) 313	2,091	2,649
2004-05	(-) 548	(-) 2,302	(-) 2,006	(-) 60	(-) 4,916
2005-06	(-) 895	(-) 303	(-) 475	(-) 41	(-) 1,714
2006-07	(-) 435	(-) 606	(-) 684	(-) 7	(-) 1,732
2007-08	(-) 880	(-) 1,316	(-) 1,375	(-) 12	(-) 3,583
2008-09	(-) 2,729	(-) 1,256	(-) 1,097	(-) 137	(-) 5,219
2009-10	(-) 2,084	(-) 3,223	(-) 2,032	(-) 654	(-) 7,993
2010-11	(-) 4,349	(-) 5,410	(-) 3,226	(-)881	(-) 13,866
2011-12	(-) 5,118	(-) 4,333	(-) 2,944	(-) 533	(-) 12,928
2012-13	(-) 4,892	(-) 6,090	(-) 4,251	(-) 366	(-) 15,599

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं का गैर कार्यान्वयन कार्यक्रमों के धीमी कार्यान्वयन को इंगित करता है ।

जिन अनुदानों में लगातार बचत दिखाई गयी निम्न प्रकार है

(प्रतिशत में)

ग्रांट का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पशुपालन	23	8	13	11	1	3	10	7	8	13
सिंचाई	1	-	4	3	5	10	42	26	30	27

अध्याय VI - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते । (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष छोड़कर) इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शातें हैं वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को ।

वर्ष 2012-13 में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,240 करोड़ था । वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 7.05 करोड़ (निवेश का 0.10 प्रतिशत) था । वर्ष 2012-13 में निवेश में ₹ 258 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 5.41 करोड़ की वृद्धि हुई है । भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरंभिक रोकड़ शेष ₹(-)50 करोड़ था। रोकड़ शेष 31 मार्च 2013 के अंत मे ₹ 165 करोड़ हो गया ।

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संचित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है ।राज्य सरकार के लोक ऋण तथा दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस. डी.पी से %	लोक लेखा (*)	जी.एस. डी.पी से %	कुल दायित्व	जी.एस. डी.पी से %
2003-04	15,887	22	6,307	9	22,194	30
2004-05	17,347	22	6,908	9	24,255	30
2005-06	19,588	21	7,435	8	27,023	30
2006-07	20,487	17	8,129	8	28,616	25
2007-08	20,489	14	8,628	6	29,117	20
2008-09	23,085	13	9,193	5	32,278	18
2009-10	28,795	14	10,542	5	39,337	19
2010-11	34,666	13	11,616	5	46,282	18
2011-12	41,396	13	13,144	4	54,540	18
2012-13	50,658	14	14,160	4	64,818	18

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।

नोटः वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं ।

वर्ष 2011-12 की तुलना में लोक ऋण और अन्य दायित्वों में ₹ 10,278 करोड़ (19%) की निविल वृद्धि हुई है ।

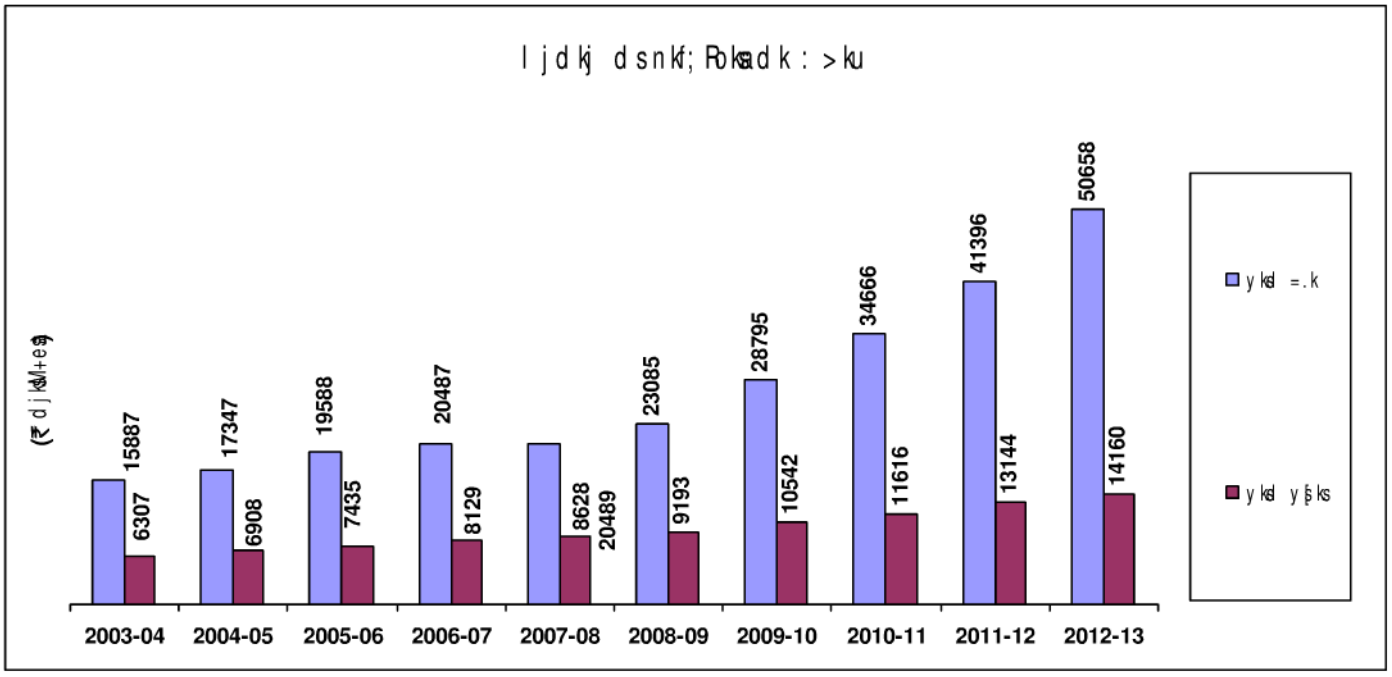

6.3. गारंटी

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा ली गई पूंजी और उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त तक राशि	
		मूलधन	ब्याज
2003-04	9,457	5,869	38
2004-05	6,742	4,209	39
2005-06	8,448	5,627	17
2006-07	12,694	5,074	1
2007-08	6,341	4,401	-
2008-09	5,188	4,575	-
2009-10	4,757	4,536	-
2010-11	5,515	4,527	-
2011-12	10,690	5,608	-
2012-13	31,958	20,733	-

अध्याय 7 - अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम

वर्ष 2012-13 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹ 3,488 करोड़ था । इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹ 2,822 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम दिये गये हैं ।

7.2. स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13 तक बीते 10 वर्षों में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹ 727 करोड़ से ₹ 4,980 करोड़ की वृद्धि हुई है । जिला परिषद, पंचायत समितियाँ तथा नगरपालिकाओं, (₹2,087 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 42 प्रतिशत आबंटन किया गया है ।

बीते 10 वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	पंचायत समिति	अन्य	कुल
2003-04				727	727
2004-05				518	518
2005-06				842	842
2006-07	--	--	--	922	922
2007-08	--	--	--	1,572	1,572
2008-09	--	--	--	2,053	2,053
2009-10	626	306	--	1,724	2,656
2010-11	687	288	--	1,979	2,954
2011-12	797	924	--	2,593	4,314
2012-13	962	1,125	--	2,893	4,980

7.3 रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2013 तक	31 मार्च 2012 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	1645	(-)50	215
रोकड़ शेष से निवेश (जी.ओ.आई. खजाना बिल)	92	371	(-) 279
निर्धारित निधि शेष से निवेश	2,437	1,838	599
(क) निक्षेप निधि	975	715	260
(ख) गारंटी मोचन निधि	81	70	11
(ग) अन्य निधि	1,381	1,053	328
ब्याज प्राप्ति	36	41	(-) 5

7.4 व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान

सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को सरकारी व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान प्रधान महालेखाकार द्वारा दर्ज आकडों से कराना अपेक्षित है। सभी 180 नियंत्रण- अधिकारियों द्वारा यह मिलान समस्त व्यय एवं प्रप्तियों के लिए किया जा चुका है ।

7.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अन्तर्गत जहॉ सहायता अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते है, विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिऍ जिसे जॉच उपरान्त प्रधान महालेखाकार को भेजना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न करना यह सुनिश्चित करने में कठिनाई प्रस्तुत करता है कि धन का उपयोग उस उद्धेश्य के लिए किया गया है या नहीं, जिसके लिए यह जारी किया गया था । लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सूची नीचे दी जा रही हैः

वर्ष जिसमे देय है	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य विभाग जहॉ से उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित हैं
2010-11 तक	50	2,22.78	ग्रामीण विकास एवं पंचायत, ग्रामीण रोजगार एवं उद्योग
2011-12	134	1,30.58	ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण विकास
2012-13	628	12,14.49	सामान्य शिक्षा एवं ग्रामीण विकास
जोड़-	**812**	**15,67.85**	

7.6 सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्ष को डेबिट करते हए सार आकिस्मिक बिल प्रस्तुत करके राशी आहरित करने के लिए प्राधिकृत है। विस्तृत आकस्मिकता बिल(डी0सी0 बिल) बाद में संबंधित प्रपत्रों के साथ प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करने होते है । 31 मार्च 2013 को ₹ 2.05 करोड के 04 सार आकस्मिकता बिल लम्बित थे। ₹ 2 करोड का एक बिल जनवरी 2013 से लम्बित है, ₹ 0.05 करोड के 03 ए0सी0 बिल मार्च 2013 में आहरित किए गए ।

7.7 वैयक्तिक खातों में धन का हस्तान्तरण

विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजनों हेतु अंतिम खर्च के रूप में दर्ज करते हुए, संचित निधि से धन हस्तान्तरण द्वारा सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । सामान्यतः यह खाते, व्ययित शेष को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर राजकोष (समेकित निधि) में जमा करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते है । जबकि संचालक अनुसार वैयक्तिक खातों का विवरण केवल कोषालयों के पास उपलब्ध है, शासकीय लेखों को वापस किए गए अव्ययित शेषों की सूचना, सार आक्समिक बिलों की वैयक्तिक खातों / बैंक खातों से सम्बन्धता वित्त लेखों में व्यक्त नहीं की जा सकी । वर्ष 2012-13 के दौरान वैयक्तिक खातों का विवरण निम्न प्रकार रहा-

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान		अन्त शेष	
लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
229	2,63.49	55	86.34	39	1,15.88	245 *	2,33.95

* 245 वैयक्तिक खातों में से 71 सकिय एवं 174 निष्क्रिय है ।

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

2013

www.cag.gov.in